गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक 3072/स्था./प्रशा./2005 बिलासपुर, दिनांक 23/8/05

आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22.08.05 विषय क्रमांक-14 के निर्णयानुसार श्री निशांत बेहार की नियुक्ति निम्न शर्तों पर स्ववित्तीय योजनांतर्गत संचालित प्रौद्योगिकी संस्थान के कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग में व्याख्याता (अनारक्षित) पद पर वेतनमान रूपये 8000-13500/- में दो वर्ष की परिवीक्षा पर (जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत बने परिनियम के अनुसार आगे बढ़ाई जा [illegible]) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है ।

कार्यभार ग्रहण की अवधि के लिये वेतन/यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा । वेतनमान के साथ समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे ।

यदि परिवीक्षावधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है।

इनकी सेवायें चालचलन संबंधी जाँच उपयुक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही वैध होंगी ।

दिनांक 06.09.2005 तक पद का कार्यभार ग्रहण किया जाना चाहिये, अन्यथा नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी । सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिनियम 31 एवं अध्यादेश [illegible] के अंतर्गत संचालित [illegible]

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय लिखित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य है ।

उपर्युक्त शर्तों में किसी प्रकार की कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जावेगी । वेतन एवं अन्य शर्तें उपर्युक्तानुसार होंगी, अन्य शर्तें मान्य नहीं होंगी ।

नियुक्ति पर होने वाला व्यय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापना मद में विकलनीय होगा ।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्रमांक 3073/स्था./प्रशा./2005 बिलासपुर, दिनांक 23/8/2005

प्रतिलिपि :-

01. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
02. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ ।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।
04. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन,डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) ।
05. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) ।
06. आयुक्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा एवं पेंशन प्रकोष्ठ, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, छ.ग.शासन, रायपुर (छ.ग.) ।
07. निदेशक, प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ ।
08. वित्ताधिकारी/ सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
09. श्री निशांत बेहार को इस निर्देश के साथ कि वे दिनांक 06.09.2005 तक आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें । कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण, आयु, पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र तथा इकरारनामा भी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
10. निजी नस्ती ।

कुलसचिव